कार्यालय प्रमुख अभियंता
म.प्र.लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश "निर्माण भवन" अरेरा हिल्स भोपाल
website : www.mppwd.gov.in
Phone - 0755 - 2551316, Fax - 2556527

क्रमांक 312/एन/2012 /2094 भोपाल दिनांक :- 21-12-2016

कार्यालयीन आदेश

1. माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्र. 7353/2012(एस) मे पारित आदेश दिनांक 11.5.2016 से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण स्पीकिंग आदेश के द्वारा 2 माह के भीतर करने के निर्देश रेस्पोन्डेंट क्र.2 (प्रमुख अभियंता) को दिये गये है। म.प्र.राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी पत्र क्र. 2830 भोपाल दिनांक 29.2.2016 तथा म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग ने पत्र क्र. 1411/5620/ 2012/स्था./19 भोपाल दिनांक 6.4.2016 के द्वारा म.प्र.लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन-जातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 4(2) के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए चयन सूची मे सुधार कर चयन से वंचित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का पात्रता अनुसार चयन कर नियुक्ति के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

2. मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश एवं म.प्र.लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन-जातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के परिपेक्ष्य मे प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा निम्नानुसार तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति परिलक्षित हुई:-

i. म.प्र.शासन, लो.नि.वि. (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1972 एवं संशोधन दिनांक 7.6.2007 के अनुसार उपयंत्री पद हेतु 5 प्रतिशत पद निचले पदों पर कार्यरत् डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी लोक सेवकों से भरे जाने का प्रावधान है एवं इसके परिपेक्ष्य मे शासन के आदेशानुसार दिनांक 30.9.2007 को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई।

ii. म.प्र.लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन-जातियाँ और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 4(4) के अनुसार खुली प्रतियोगिता मे आरक्षित अभ्यर्थी के मेरिट के आधार पर चयनित होने की दशा मे उसे अनारक्षित श्रेणी मे चयनित करने तथा आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित न किये जाने का प्रावधान है। म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने भी परिपत्र दिनांक 10.7.1996, 19.5.1997 एवं 26.6.1998 से यह प्रावधानित किया है कि आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा मे उम्मीदवारों का रोल नं. मिश्रित रखा जावे जिससे कि अनुसूचित जातियाँ/जन-जातियों/अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार की पहचान रोल नं. से न हो तथा परीक्षाफल की घोषणा भी मिश्रित रूप से की जावे। अनारक्षित पदों के अनुपात मे मेरिट के आधार पर परीक्षाफल घोषित करने के बाद शेष बचे उम्मीदवारों मे से आरक्षित पदों के अनुपात मे अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य पिछडे वर्ग के उम्मीदवार जो मेरिट मे नही आते है, का परीक्षाफल पृथक से दर्शाकर घोषित किया जावे। परिपत्र मे यह भी लेख है कि अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य पिछडा वर्ग का कोई उम्मीदवार यदि अपनी विशिष्ट योग्यता के आधार पर सामान्य वर्ग के चयन किये गये उम्मीदवारों के साथ चयनित हो जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे मे नही गिना जावेगा।

iii. वर्ष 2007 मे आयोजित प्रश्नाधीन चयन परीक्षा मे उक्त आरक्षण नियम का पूर्णतः पालन न करते हुए अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक मेरिट लिस्ट प्रारंभ से ही तैयार की जाकर इन श्रेणियों मे रिक्तियों के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन करते हुए उपयंत्रियों के नियुक्ति आदेश दिनांक 8.1.2008 एवं इसके पश्चात जारी किये गये। इसके परिणाम स्वरूप आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो कि मेरिट के आधार पर